

झारखण्ड सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,  
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

अनौपचारिक  
रूप से  
परामर्शितमहालेखाकार (ले० एवं हक०),  
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक-09/05/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना व्यय मद अंतर्गत 12 नगर परिषदों के नियमित कर्मियों के वेतन/बकाया वेतनादि मद में अधियाचित राशि कुल 11,40,87,422/- रु० के विरुद्ध ऋण के रूप में कुल अधियाचित राशि का 40% यथा, रु० 4,56,34,968/- (चार करोड़ छप्पन लाख चौतीस हजार नौ सौ अड़सठ रूपये) मात्र ऋण राशि की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना व्यय मद अंतर्गत 12 नगर परिषदों के नियमित कर्मियों के वेतन/बकाया वेतनादि मद में अधियाचित राशि कुल 11,40,87,422/- रु० के विरुद्ध ऋण के रूप में कुल अधियाचित राशि का 40% यथा, रु० 4,56,34,968/- (चार करोड़ छप्पन लाख चौतीस हजार नौ सौ अड़सठ रूपये) मात्र ऋण राशि की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

क्र०	निकाय का नाम	कार्यरत बल	निकाय द्वारा अधियाचित राशि	ऋण के रूप में स्वीकृत अधियाचित राशि का 40%	कोषागार/ उप कोषागार	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	लोहरदगा नगर परिषद	30	92,85,265	37,14,106	लोहरदगा	कार्यपालक पदाधिकारी
2	झुमरीतिलैया नगर परिषद	26	96,92,200	38,76,880	कोडरमा	कार्यपालक पदाधिकारी
3	दुमका नगर परिषद	18	70,84,308	28,33,723	दुमका	कार्यपालक पदाधिकारी
4	मिहिजाम नगर परिषद	04	6,48,600	2,59,440	जामताड़ा	कार्यपालक पदाधिकारी
5	मधुपुर नगर परिषद	44	1,93,15,068	77,26,027	मधुपुर	कार्यपालक पदाधिकारी
6	चाईबासा नगर परिषद	31	1,02,18,902	40,87,561	चाईबासा	कार्यपालक पदाधिकारी
7	गढ़वा नगर परिषद	11	36,45,643	14,58,257	गढ़वा	कार्यपालक पदाधिकारी
8	गुमला नगर परिषद	06	32,44,447	12,97,778	गुमला	कार्यपालक पदाधिकारी
9	जुगसलाई नगर परिषद	30	1,77,69,010	71,07,604	जमशेदपुर	कार्यपालक पदाधिकारी
10	साहेबगंज नगर परिषद	55	2,50,22,590	1,00,09,036	साहेबगंज	कार्यपालक पदाधिकारी
11	चक्रधरपुर नगर परिषद	17	45,51,540	18,20,616	चक्रधरपुर	कार्यपालक पदाधिकारी
12	गोड्डा नगर परिषद	13	36,09,849	14,43,940	गोड्डा	कार्यपालक/विशेष पदाधिकारी
	कुल	285	11,40,87,422	4,56,34,968	(चार करोड़ छप्पन लाख चौतीस हजार नौ सौ अड़सठ रूपये)	

2. स्वीकृत/आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018-19 में नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) के मांग संख्या-48 के अधीन गैर-योजना मुख्य शीर्ष-6217-शहरी विकास के लिए कर्ज-उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य शहरी विकास योजनाएँ-लघुशीर्ष-192-नगरपालिकाओं/नगरपालिका परिषदों को कर्ज-उपशीर्ष-03-नगर परिषद/नगरपालिका को उनके नियमित कर्मियों के वेतनादि के लिए ऋण-विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-63-ऋण एवं अग्रिम-(विपत्र कोड-48S621760192030763) अंतर्गत उपबंधित राशि 12,43,75,000/- रु० से की जायेगी।

3. स्वीकृत ऋण की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपरोक्त तालिका में उल्लेखित निकायों के नाम के सम्मुख स्तंभ vii में अंकित पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी स्तंभ vi में अंकित कोषागार/उप कोषागार से वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत की जायेगी।
4. विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की उपयोगिता संबंधी विवरणी निम्नवत् है:-


क्र०	निकाय का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	निकासी की गई राशि	उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति
i	ii	iii	iv	v
1	झुमरीतिलैया नगर परिषद्	46/10.06.16	5,306,840	5,306,840
2	गुमला नगर परिषद्	46/10.06.16	1,068,221	1,068,221
		381/22.03.17	280,000	280,000
3	लोहरदगा नगर परिषद्	46/10.06.16	3,487,157	3,487,157
4	मधुपुर नगर परिषद्	46/10.06.16	13,424,841	13,424,841
5	दुमका नगर परिषद्	46/10.06.16	50,717,113	50,717,113
		381/22.03.17	17,376,655	17,376,655
6	मिहिजाम नगर परिषद्	46/10.06.16	316,695	316,695
7	चाईबासा नगर परिषद्	46/10.06.16	4,635,648	4,635,648
8	चक्रधरपुर नगर परिषद्	46/10.06.16	2,628,424	2,628,424
9	साहेबगंज नगर परिषद्	46/10.06.16	7,267,579	7,267,579
10	गढ़वा नगर परिषद्	46/10.06.16	383,299	383,299
11	जुगसलाई नगर परिषद्	46/10.06.16	4,238,316	4,238,316
12	गोड्डा नगर परिषद्	44/10.06.16	1,640,669	1,640,669

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राज्य के संचित निधि से राशि की निकासी के उपरान्त झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की बजट संबंधी धाराओं के अनुसार राशि को निकाय कोष में संधारित करने के पश्चात् ही नियमानुसार व्यय करेंगे।
6. उक्त राशि की स्वीकृति विभागीय संकल्प संख्या-2223 दि०-09.09.09 एवं 1591 दि०-16.05.11 में लिये गये निर्णय के आलोक में स्वीकृति किया जाना है। नियमानुसार निकायकर्मियों के छठे वेतन का निर्धारण निकाय स्तर से किये जाने के पश्चात् जिला लेखा पदाधिकारी से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
7. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि निकायकर्मियों को छठे वेतनमान पर भुगतान से पूर्व यह आश्वस्त हो लेंगे कि संबंधित निकायकर्मियों को वित्त विभाग के नियमानुसार वेतन का निर्धारण किया गया है एवं निर्धारित वेतन का सक्षम स्तर से सत्यापन कराये जाने की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन की होगी। अनुमान्यता से अधिक वेतन प्राप्त करनेवाले कर्मियों का अतिरिक्त वेतन का सामंजस्य कराये जाने की जिम्मेवारी भी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
8. स्वीकृत ऋण राशि का भुगतान निकाय के वैसे कर्मचारियों को किया जायेगा, जो स्वीकृत पद के विरुद्ध सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार दिनांक-15.11.2000 को निकाय के नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। आवंटित राशि का भुगतान निकाय में दैनिक मजदूरी पर कार्यरत कर्मचारियों को किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।
9. स्वीकृत ऋण की अदायगी राशि की निकासी की तिथि से पाँच वर्ष बाद 20 समान किस्तों में की जायेगी। स्वीकृत ऋण पर 13% की दर से ब्याज देय होगा, जिसका भुगतान राशि के निकासी के एक वर्ष बाद से संबंधित निकाय द्वारा नियमानुसार सरकार को समय-समय पर किया जायेगा। ऋण वसूली की शर्तें भूतलक्षी प्रभाव से परिवर्तनीय होगी।
10. संबंधित नगर निकाय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वीकृत ऋण की राशि के भुगतान के पश्चात् व्यय राशि का सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में टी०भी०नं० एवं तिथि के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सीधे भेजते हुए उसकी एक प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायेंगे।

11. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग तथा राज्य वित्त (अंकेक्षण) विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों को देखने, जांच-पड़ताल एवं अंकेक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।
12. राशि के आवंटन विषयक प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अतः महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची से अनुरोध है कि संबंधित निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम से ऋण राशि का प्राधिकार पत्र शीघ्र निर्गत करते हुए प्राधिकार पत्र की एक प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जाय।

विश्वासभाजन

  
2.5.18


(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

राँची, दिनांक- 27/05/18

ज्ञापांक-02/न०वि०/स्था० व्यय/वेतन आ०/न०प०-113/2018-.....

प्रतिलिपि-माननीय (विभागीय) मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, हजारीबाग, राँची, दुमका, चाईबासा एवं मेदिनीनगर/उपायुक्त, कोडरमा/गुमला/लोहरदगा/दुमका/देवघर/पाकुड़/जामताड़ा/गढ़वा/साहेबगंज/पलामू/गोड्डा/प० सिंहभूम एवं पूर्वी सिंहभूम/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/उपकोषागार/अध्यक्ष/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी, झुमरीतिलैया/गुमला/लोहरदगा/दुमका/मधुपुर/पाकुड़/मिहिजाम/चाईबासा/गढ़वा/चक्रधरपुर/साहेबगंज/गोड्डा एवं जुगसलाई नगर परिषद/श्री कुणाल, विशेषज्ञ (IT Specialist)/Online आवंटन हेतु श्री संदीप अग्रवाल, सहायक नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

KRM

